

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1677 / 2013 / टॉक.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, टॉक.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स श्याम कारपेट्स, टॉक.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.


दिनांक : 04 / 01 / 2016

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर कैम्प कोटा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 24 / वेट / 11-12 / टॉक में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.01.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्-टॉक (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23/24 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.11.2011 को पारित करते हुए व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति रूपये 23,450/- का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से स्वीकार की जाकर आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने के विरुद्ध अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने विधिक त्रुटि की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।



लगातार.....2

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.12(92)एफडी/टैक्स/2011-46 दिनांक 15.09.2011 के जरिये अधिसूचित किया गया है कि जिन व्यवहारियों द्वारा वर्ष 2009-10 के लिये समस्त विवरणियां दिनांक 30.9.2011 तक प्रस्तुत कर दी गयी हैं तथा समस्त देय कर राशि दिनांक 30.9.2011 तक जमा करवा दी गयी है, उन व्यवहारियों पर आरोपित शास्ति राशि व ब्याज राशि का अधित्यजन राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2009-10 के लिये देय कर दिनांक 30.9.2011 से पूर्व जमा करवाते हुये समस्त विवरणियां दिनांक 30.9.2011 से पूर्व प्रस्तुत कर दी गयी हैं। अतः उक्त वर्णित तथ्यात्मक स्थिति के प्रकाश में, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(92)एफडी/टैक्स/2011-46 दिनांक 15.9.2011 के प्रकाश में दिनांक 30.9.2011 से पूर्व समस्त विवरणियां प्रस्तुत करने और समस्त देय कर वर्ष 2009-10 के लिये जमा कराये जाने के कारण इस सम्बन्ध में आरोपित शास्ति व ब्याज की राशि राज्य सरकार द्वारा अधित्यजित कर दिये जाने के कारण अब वसूली योग्य होना नहीं रह गयी है। कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.9.2011 व अधिनियम की धारा 20 के तहत Due tax जो प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्री विवरणियों में घोषित किया गया है वह दिनांक 30.9.2011 से पूर्व जमा होने के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी पर Due tax जमा करवाने हेतु शेष नहीं था। अतः अधिसूचना दिनांक 15.9.2011 के लाभ प्राप्त करने का प्रत्यर्थी व्यवहारी हकदार था जिसे उचित रूप से अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में कर बोर्ड की एकलपीठ के न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या 1859/2012/जोधपुर निर्णय दिनांक 04.06.2013 वा.क.अ., वृत्त-सी, जोधपुर बनाम मैसर्स बेकर हग्स, सिंगापुर पीटीई/केयर्न एनर्जी इण्डिया, प्रा.लि., जोधपुर एवं (2014) 21 वेट रिपोर्टर 18 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम श्याम ग्रेनाईट जोधपुर को प्रोद्धरित कर कथन किया कि हस्तगत प्रकरण के तथ्य प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों से पूर्णतः आच्छादित होने के कारण राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने योग्य है।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया।

6. हस्तगत प्रकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.12(92)एफडी/टैक्स/2011-46 दिनांक 15.09.2011 जारी की गयी है। जिसके अनुसार वर्ष 2009-10 के लिये आरोपित शास्ति राशियों व ब्याज राशियों को उन व्यवहारियों के सम्बन्ध में, अधित्यजित कर दिया गया है,



जिन्होंने वर्ष 2009-10 की समस्त विवरणियां दिनांक 30.9.2011 तक प्रस्तुत कर दी हैं तथा वर्ष 2009-10 का समस्त देय कर दिनांक 30.9.2011 तक जमा करवा दिया है। इस सम्बन्ध में अधिसूचना क्रमांक 2011-46 दिनांक 15.9.2011 के मूल पाठ का अध्ययन करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है :-


“In exercise of the powers conferred by Section 51A of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), and in supersession of this Department's notification No. F.12(25) FD/Tax/11-169 dated 30.03.2011, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby waives the amount of penalty and interest payable, for the year 2009-10, by the dealer who have filed all returns and have deposited all due tax relating to the year 2009-10 upto 30.09.2011.

7. इसी प्रकार विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा उद्धरित माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांतों अपील संख्या 1859/2012/जोधपुर निर्णय दिनांक 04.06.2013 वा.क.अ., वृत्त-सी, जोधपुर बनाम मैसर्स बेकर हग्स, सिंगापुर पीटीई/केयर्न एनर्जी इण्डिया, प्रा.लि., जोधपुर एवं (2014) 21 वेट रिपोर्टर 20 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम श्याम ग्रेनाईट जोधपुर में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.9.2011 के जरिये वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित बिक्री विवरण प्रपत्र व देय कर दिनांक 30.9.2011 तक जमा करवाये जाने की स्थिति में धारा 58 के तहत शास्ति व ब्याज का आरोपण अनुचित है।

8. उक्त अधिसूचना एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत बिक्री विवरणियों में बहियात के अनुसार देय कर राजकोष में जमा करवाया जाता है वह ही Due tax की श्रेणी में आता है, अतः हस्तगत प्रकरण के सम्बन्ध में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा देय कर दिनांक 30.9.2011 से पूर्व जमा था एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी को अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.9.2011 के आलोक में उचित रूप से शास्ति के बिन्दु पर राहत प्रदान की गयी है। अतः पारित अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं होने से, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।


04.01.2016
(मनोहर पुरी)
सदस्य